बिहार सरकार

वित्त विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक–............................

संख्या–1/स्था०(ले०से०)–17/2024............./वि० बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतन स्तर–9 में (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों सहित) परीक्ष्यमान रूप से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर नियुक्त करते हुए स्तंभ–5 में अंकित विभाग में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र०	रौल नं०	नाम/संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5
1	138892	श्री हिमांशु देव, 07	प० चम्पारण	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग
2	292210	श्री अमृतांशु भारद्वाज, 32	गया	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
3	221474	श्री आनन्द गौतम, 33	भागलपुर	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग
4	150666	श्री रोहित राज, 44	पटना	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को 06 माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :–

क्र०	नाम	कोषागार से संबंधित कार्य का प्रशिक्षण (03 माह)	भविष्य निधि कार्य से संबंधित प्रशिक्षण (01 माह)	लेखा से संबंधित कार्य का प्रशिक्षण (02 माह)
1	श्री हिमांशु देव	सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना
2	श्री अमृतांशु भारद्वाज	सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना
3	श्री आनन्द गौतम	सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना
4	श्री रोहित राज	सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना	जिला लेखा कार्यालय, पटना

3. नवनियुक्त पदाधिकारी अपने पदस्थापन विभाग में योगदान समर्पित कर विरमित होने की प्रतीक्षा किये बगैर प्रशिक्षण हेतु संबंधित कार्यालय में योगदान देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति अगले छः माह के लिए की जाती है। यह पूर्णतः औपबंधिक होगी।

5. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों से संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

6. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

7. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण–पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण–पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

8. नवनियुक्त पदाधिकारी योगदान के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रमाण–पत्रों में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी पात्रता रद्द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा।

9. सभी नवनियुक्त पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा–पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. नवनियुक्त पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपना योगदान नवपदस्थापित कार्यालय/विभाग में देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–17/2024................/वि०, पटना, दिनांक–................

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–17/2024.........../वि०, पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था०(ले०से०)–17/2024 8039 **/वि०, पटना, दिनांक–** 17/07/2025

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्य (वित्त) मंत्री का कोषांग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/गया/सचिव, भवन निमार्ण विभाग/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव (संसाधन/व्यय) के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित वरीय कोषागार पदाधिकारी/नवनियुक्त सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रणाली विश्लेषक, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

RMandal
17/07/2025
सरकार के अवर सचिव।

Pan/rr/2